

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बंधित सामान्य जानकारो ॥
बुधवार, 10 जुलाई, 1996 / आषाढ 19, 1918 ॥ शक ॥

संख्या. 268

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक 9.7.1996 को निम्नलिखित
सूचना दिनांक 10.7.1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री पूरण चन्द योगी और श्री धर्म देव सोलंकी को आज
अर्थात् दिनांक 9.7.96 को अपराहन 12.25 बजे पुलिस
थाना, संसद मार्ग नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत्
निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978
की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 9.7.96 को अपराहन
1.00 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से
रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, July 13, 1996/Ashada 19, 1918 (Saka)

No. 268

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 9.7.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 10.7.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Puran Chand Yogi and Shri Dharam Dev Solanki, Hon'ble Members of the Delhi Legislative Assembly alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 12.25 hours today i.e. 9.7.96.

They were released at 1.00 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 9.7.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY